

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय

प्रयागराज - 211015

संख्या : 797-ई/गज/गुप 'बी' सेले./सीबीटी/वाणिज्य/30%/2023-24

दिनांक : 14.02.2023

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/एफएम, अपर महाप्रबंधक, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, महाप्रबंधक/केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, प्रधान वित्त सलाहकार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण, मुख्य कारखाना प्रबंधक - झाँसी एवं सिधौली कारखाना, मंडल रेल प्रबंधक - प्रयागराज, आगरा एवं झाँसी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक - प्रयागराज, आगरा एवं झाँसी, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी - प्रयागराज, आगरा एवं झाँसी, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी - प्रयागराज, आगरा एवं झाँसी, वरिष्ठ ईडीपीएम - प्रयागराज, आगरा एवं झाँसी, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राजपत्रित/मुख्यालय/निर्माण, सभी उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, उप मुख्य यातायात प्रबंधक/कानपुर, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/आईआर, झाँसी एवं सिधौली कारखाना, वरिष्ठ विधि अधिकारी, सहायक कार्मिक अधिकारी/आईआर एवं सहायक विधि अधिकारी/मुख्या., मंडल वाणिज्य प्रबंधक/सहायक वाणिज्य प्रबंधक - प्रयागराज, आगरा एवं झाँसी, प्रधानाचार्य - ईटीसी/कानपुर, सीटा/कानपुर, आईआरटीएमटीसी/प्रयागराज तथा एसटीसी/झाँसी, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी/उत्तर मध्य रेलवे.

अधिसूचना

विषय : रिक्ति चक्र 01.01.2023 से 31.12.2024 की रिक्तियों के लिए केंद्रीकृत कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा (सीबीटी) द्वारा वाणिज्य विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेविल-8 में 30% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए गुप 'सी' से गुप 'बी' में सहायक वाणिज्य प्रबंधक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(जीपी)2022/2/4 दिनांक 04.10.2022, 07.10.2022 एवं 07.02.2023

1. रेलवे बोर्ड के संदर्भाधीन पत्रों के अनुसार रिक्ति चक्र 01.01.2023 से 31.12.2024 की रिक्तियों को भरने के लिए भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी (NAIR), वडोदरा द्वारा आयोजित केंद्रीकृत कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा (सीबीटी) द्वारा वाणिज्य विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेविल-8 में 30% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) कोटा के अंतर्गत गुप 'बी' में सहायक वाणिज्य प्रबंधक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस चयन के लिए भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा द्वारा 30% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) कोटा के अंतर्गत दिनांक 14.05.2023 (परिवर्तनीय) को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।

निर्धारित रिक्तियों के मूल्यांकन का विवरण निम्नानुसार है :-

| प्रकार | अनारक्षित | अ.जा. | अ.ज.जा. | कुल |
|--|-----------|-------|---------|-----|
| 30% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) | 02 | 00 | 00 | 02 |

रेलवे बोर्ड के दिनांक 18.08.2022 के पत्र संख्या ई(जीपी)2022/2/20 द्वारा परिपत्रित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.05.2022 के कार्यालय जापन संख्या 36012/1/2020-Estt.(Res-II) में दिए गए बेंचमार्क निःशक्तता से संबंधित अनुदेशों का पालन इस चयन/एलडीसीई में किया जा रहा है।

2. पात्रता :

यह परीक्षा योजना वाणिज्य विभाग के लिपिकीय एवं गैर-लिपिकीय (नान-मिनिस्टीरियल) कर्मचारियों के लिए है। रेलवे बोर्ड के दिनांक 27.12.2019 के पत्र संख्या ई(जीपी)2019/2/25 (आरबीई 216/2019) के अनुसार ग्रुप 'सी' के वे सभी कर्मचारी, जो पे मैट्रिक्स में लेवल 6 और इससे ऊपर के लेवल में कार्यरत हैं और जिन्होंने पे मैट्रिक्स में लेवल 6 और उसके ऊपर के लेवल में पाँच (05) वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली है (इसमें समरूप प्रीरिवाइज्ड ग्रेड पे में की गई लगातार सेवा भी शामिल है), वे 30% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) कोटा के अंतर्गत ग्रुप 'बी' चयन के लिए पात्र होंगे।

जो कर्मचारी ऐसे पद पर नियुक्त हैं, जिस पर उनकी नियुक्ति निर्धारित प्रशिक्षण को संतोषजनक रूप से पूरा किए जाने के अधीन है, उनकी सेवा अवधि की गणना में, निर्धारित प्रशिक्षण अवधि भी शामिल मानी जाए।

बोर्ड के दिनांक 21.09.2005 के पत्र सं. ई (जीपी) 2005/2/42-आरबीई संख्या 161/2005 के अनुसार रिक्तियों की अवधि प्रारंभ होने की तारीख को ही उक्त अवधि में भरी जाने वाली रिक्तियों के तहत ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'बी' में पदोन्नति हेतु आयोजित किए जाने वाले चयन में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता के निर्धारण की कट ऑफ तारीख माना जाएगा। इस प्रकार 30% (एलडीसीई) चयन कोटा के तहत सहायक वाणिज्य प्रबंधक के पद पर ग्रुप 'बी' में पदोन्नति हेतु चयन परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता की निर्धारण अवधि 2023-2024 हेतु कट ऑफ तारीख 01.01.2023 होगी।

पात्र कर्मचारी अपना आवेदन **अनुलग्नक 'ए'** के रूप में सलग्न निर्धारित प्रपत्र में (तीन प्रतियों में) उचित माध्यम द्वारा अपने आसन्न पर्यवेक्षक/अधिकारी द्वारा अग्रसारित कराकर अपने संबंधित कार्यालय में **02.03.2023** को या उससे पहले भिजवा दें और तत्संबंधी पावती प्राप्त कर लें। प्रत्येक कालम में सही सूचना भरना अनिवार्य है। दिनांक **02.03.2023** के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। यदि किसी संबंधित कार्यालय/इकाई में कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो उस कार्यालय द्वारा मुख्यालय/मंडल/कारखाना/इकाई के संबंधित कार्मिक विभाग को इस आशय का प्रमाण दिया जाना चाहिए कि इस कार्यालय में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

संबंधित कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों को मुख्यालय/मंडल/कारखाना/इकाई के कार्मिक शाखा को **07.03.2023** तक भिजवा दिया जाए तथा आवेदन पत्रों की एक-एक प्रतियां अपने कार्यालय में रिकार्ड हेतु रख लिया जाए।

दिनांक **07.03.2023** के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर संबंधित मुख्यालय/मंडल/कारखाना/इकाई के कार्मिक विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

3. आवेदन पत्रों की जाँच (छानबीन) :

मुख्यालय/मंडलों/कारखानों/इकाइयों के कार्मिक शाखा द्वारा प्राप्त आवेदनों को पंजीकृत करने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें प्रत्येक कार्यालय के उन सभी कर्मचारियों के नाम दर्ज किए जाएंगे, जिन्होंने चयन के लिए आवेदन किया है। मुख्यालय/मंडलों/कारखानों/इकाइयों के स्थापना अनुभाग के कार्मिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्रों की जाँच की जाए और संबंधित कर्मचारियों के सेवा अभिलेख के अनुसार उनकी पात्रता का सत्यापन किया जाए तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के आवेदन में उसकी पात्रता अथवा अपात्रता को प्रमाणित किया जाए।

आवेदन पत्रों की जाँच के बाद मुख्यालय/मंडलों/कारखानों/इकाइयों द्वारा आवेदन पत्र के साथ केवल पात्र अभ्यर्थियों की सूची अनुलग्नक 'बी' के रूप में संलग्न प्रोफार्मा में अग्रसारित करके भेजी जाए। प्रत्येक कर्मचारी के आवेदन की एक प्रति मुख्यालय/मंडल/कारखाना/इकाई द्वारा रिकार्ड के तौर पर रख ली जाएगी तथा एक प्रति अग्रेषण पत्र के साथ मुख्यालय के कार्मिक विभाग को पत्र वाहक द्वारा इस प्रकार भेजी जाए ताकि वह उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राजपत्रित को 15.03.2023 को या उससे पहले प्राप्त हो जाए। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित तारीख के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदनों को अग्रसारित करते समय उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/मंडल कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/सहायक कार्मिक अधिकारी/स्थापना द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि उनके पास कोई भी आवेदन छूटा नहीं है। अनुलग्नक 'बी' में पात्र उम्मीदवारों की सूची एक्सेल शीट में सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय एवं सहायक कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय द्वारा भी ऊपर के पैरा में उल्लिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

यदि कोई कर्मचारी उपर्युक्त चयन के लिए किसी भी स्तर पर अपात्र पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी। निर्माण संगठन में कार्यरत उम्मीदवारों के आवेदन पत्र उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/निर्माण, उत्तर मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, प्रयागराज के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के लिए चयन पूर्व प्रशिक्षण :

चूँकि ये रिक्तियाँ अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित हैं, इसलिए रेलवे बोर्ड के दिनांक 28.08.2019 के पत्र सं. ई(जीपी)2010/2/39 (आरबीई नं. 142/2019) में दिए गए वर्तमान निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को चयन पूर्व कोचिंग/प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा।

5. पाठ्यक्रम :

रेलवे बोर्ड के दिनांक 07.11.2022 के पत्र सं. ई(जीपी)2022/2/4 द्वारा जारी वाणिज्य विभाग में ग्रुप 'बी' के सहायक वाणिज्य प्रबंधक के पद पर पदोन्नति के लिए 30% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) चयन हेतु पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि अनुलग्नक 'सी' के रूप में संलग्न है।

6. परीक्षा कार्यक्रम :

रेलवे बोर्ड के दिनांक 28.06.2022 एवं 06.09.2022 के पत्र सं. ई(जीपी)2022/2/4 के अनुसार कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

| विषय | प्रश्न | अंक |
|---|---|--------|
| तकनीकी (व्यावसायिक) विषय | 85 प्रश्न (5 वैकल्पिक प्रश्नों सहित) | 80 अंक |
| सामान्य ज्ञान एवं राजभाषा नीति एवं नियम | 55 प्रश्न (राजभाषा नीति एवं नियम से संबंधित 15 वैकल्पिक प्रश्नों सहित) | 40 अंक |
| स्थापना और वित्त नियम | 35 प्रश्न (5 वैकल्पिक प्रश्नों सहित) | 30 अंक |
| अर्हता अंक | 90 | |
| अवधि/समय | 3 घंटा | |

प्रश्न पत्र में कुल 175 प्रश्न होंगे, जिनमें से 150 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने होंगे।

प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई (1/3) अंक काट लिए जाएंगे।

7. लिखित (सीबीटी) परीक्षा एवं साक्षात्कार :

उक्त पद पर चयन के लिए लिखित परीक्षा एवं तत्पश्चात साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जाएगी। रेलवे बोर्ड के दिनांक 31.10.1991 के पत्र संख्या ई(जीपी)80/2/8, दिनांक 21.05.1999 एवं 18.12.2000 के पत्र संख्या 99/एच/5/3 के अनुसार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले एवं मेडिकल परीक्षण का निर्धारित मानक पास करने वाले उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इस संबंध में भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली भाग-1, तृतीय संस्करण, 2000 के पैरा 503 के साथ पठित पैरा 529 एवं 530 के प्रावधान लागू होंगे।

सभी वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी, मंडल कार्मिक अधिकारी, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, सहायक कार्मिक अधिकारी तथा कर्मचारियों के नियंत्रक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सर्व संबंधितों में इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। मुख्यालय/मंडलों/कारखानों/इकाइयों के संबंधित कार्यालयों के प्रमुख नोटिस बोर्डों पर इस अधिसूचना को प्रदर्शित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

30% (एलडीसीई) चयन कोटा के तहत चयन (सीबीटी) आयोजित करने का कार्यक्रम निम्नवत है :-

| आवेदक द्वारा अपने संबंधित कार्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख | संबंधित कार्मिक शाखा में आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तारीख | प्रधान कार्यालय में आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तारीख | अंतिम पात्रता सूची जारी करने की तारीख | अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों का चयन पूर्व कोचिंग पूर्ण करने संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करने की तारीख | लिखित परीक्षा (सीबीटी) की संभावित तारीख |
|--|--|---|---------------------------------------|---|---|
| 02.03.2023 | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 05.04.2023 | लागू नहीं | 14.05.2023 |

यह अधिसूचना इस रेलवे की वेबसाइट www.ncr.indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है।
(About us → Department → Personnel → NCR Gazetted Section → CBT)

सर्वसंबंधित और आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में किसी भी अपडेट के लिए नियमित रूप से ऊपर उल्लिखित एनसीआर वेबसाइट देखते रहें।

यदि हिंदी संस्करण में कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
कृपया इस अधिसूचना की पावती दी जाए।

(इफ्तिखार अहमद खान)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/राजपत्रित
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित :-

1. सचिव/महाप्रबंधक।
2. सचिव/स्थापना (जीपी), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव-1/प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक।
4. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशा., मुख्य कार्मिक अधिकारी/आईआर।
5. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक - प्रयागराज, आगरा, झाँसी एवं कानपुर।
6. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी।